न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 52 / 2022(2022 / 176)

1. लादू पुत्र [illegible] जाति धोबी निवासी छाबडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:—
प्रार्थी वकील :— श्री अनुराग पाण्डेय
पैराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम छाबडिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2070—73** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
336—303	266 272 273	0.51 0.11 0.51	नहरी 1 नहरी 1 नहरी 1
	कुल किता 3	रकबा 1.13हैक्टर	

उपरोक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की आराजी है। खसरा नम्बर 266, 272, 273 प्रार्थी लादू के नाम बतौर खातेदार रिकॉर्ड में अंकन हो रखी है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजी का पूर्व में दिनांक 23.06.2021 को श्रीमान् तहसीलदार साहब केकडी के आदेशानुसार सीमा ज्ञान हो चुका है। श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी द्वारा करवाये गये सीमा ज्ञान के सीमा चिन्ह को अप्रार्थी (पडोसी) नहीं मानकर आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडा करते है क्योंकि उक्त आराजी पर अप्रार्थी (पडोसी) अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है एवं अप्रार्थी (पडोसी) ने जानबूझकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी को अनाधिकृत रूप से दबा रखी है एवं उक्त वाद वर्णित आराजीयात स्थायी पत्थरगढी कराने से इन्कार करते है इसलिए प्रार्थी द्वारा स्थायी पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके ताकि आये दिन प्रार्थी को अप्रार्थीया से विवाद नहीं करना पडें एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियों में उलझना नहीं पड़े, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी दिनांक 05.10.2021 को उपरोक्त आराजी की हकाई बुआई करने गया तो अप्रार्थीया ने हकाई बुआई नहीं करने दी व गाली गलोच करने लग गयी तथा कब्जा काश्त में बांधा उत्पन्न की व स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहां तक मेरा खेत है तथा उक्त स्थायी सीमा चिन्हो के अभाव में खेत में भी काश्त नहीं करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:45:50 IST
Reason: SelfAttested

(लालुराम ...)
(... अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम छावडिया तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या नया पुराना 336–303 के कुल किता 3, कुल रकबा 1.13हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

स्थायी अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:45:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner